



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-17062026-273543
CG-RJ-E-17062026-273543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3014]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3014]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 10 जून, 2026

का.आ. 3135(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या 1348 का.आ. 1413 (अ) तारीख 19 मार्च 2026 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (II), तारीख 19 मार्च 2026 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, गुड्स यार्ड के लाइन नंबर 1,2,3,4 और 5 के पुनःविन्यास (रीमॉडलिंग) की सी.एस.एल./सी.एस.आर बढ़ाने हेतु कार्य की परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात् "द इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) तारीख 02 अप्रैल 2026 और "दैनिक भास्कर" एवं "देश कि धरती" (हिंदी) तारीख 28 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था; और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किये गए थे;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जायेगी;

यह और कि केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी |

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में गुड्स यार्ड के लाइन नंबर 1,2,3,4 और 5 के पुनःविन्यास (रीमॉडलिंग) की सी.एस.एल./सी.एस.आर बढ़ाने हेतु कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य : राजस्थान				जिला : सवाई माधोपुर					
गाँव : कुतलपुरा जाटान				तालुका : सवाई माधोपुर					
क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	अवाप्त रकबा क्षेत्रफल हेक्टेयर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि स्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम	कुल रकबा (हेक्टेयर)
1	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	कुतलपुरा जाटान	10	0.0105	निजी	बंजड़	'द' जयपुर उद्योग लिमिटेड, सीमेंट फ़ैक्ट्री साहू नगर, सवाई माधोपुर, राजस्थान, 322001	6.4100

[कम्प्यूटर न. 354450 फा. सं. ई.-पमरे-कोटा0इंजीनीरींग(एसएलएम1)/2/2025-वरी. मंडल इंजी.(सम०)/कोटा/पमरे]
महेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय)

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 10th June, 2026

S.O. 3135(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (West Central Railway), number 1348 S.O. 1413(E) dated 19th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 19th March, 2026 and issued under the sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) ACT, 2008 (No. 11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance management and operation of a Special Railway Project namely, Sawai Madhopur – SWM Station :- Remodelling Goods Yard Line No. 1, 2, 3, 4 & 5 to Increase CSL/CSR Project in District Sawai Madhopur in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, "THE INDIAN EXPRESS" (English), dated the 02nd of April 2026 and "DAINIK BHASKAR" and "DESH KI DHARTI" (Hindi) dated the 28th of March 2026 under the sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objections were received by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Central Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely: Sawai Madhopur – SWM Station :- Remodelling Goods Yard Line No. 1, 2, 3, 4 & 5 to Increase CSL/CSR Project in District Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.

State : Rajasthan					District : Sawai Madhopur				
Village : Kutalpura Jatan					Taluka : Sawai Madhopur				
S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Acquired Area (Hectare)	Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner/ Interested Persons	Total Area (Hectare)
1	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	Kutalpura Jatan	10	0.0105	Personal	Barren Land	The Jaipur Industries Limited, Cement Factory Sahu Nagar, Sawai Madhopur, Rajasthan, 322001	6.4100

[Computer No. 354450 F. No. WCR-KOTA0ENGG(SLM1)/2/2025-O/o Sr. DEN(Co)/KOTA/WCR]

MAHENDRA SINGH, Senior Divisional Engineer (Coordination)